राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गुलाबचन्द बनाम किशना हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
17/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम खोरा मीणा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं. 1261 लगायत 1265, 1424, 693 994 कुल खसरा किता 08 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा के हाल चालू खसरा नं. 1511, 1512, 1725, 1726, 1727, 919, 920, 886 कुल खसरा किता 8 रकबा 1.64 है. के खाते में हिस्सा 1/2 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है शेष 1/2 हिस्से के खातेदार मंगलाराम, रामकरण, माधोराम, जगदीश पि. दीपा व मु. मूली बेवा दीपा है | उक्त वर्णित भूमि ख. न. 1261 लगायत 1265 कुल खसरा किता 5 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल चालू बन्दोबस्त में ख. न. 1511 व 1512 कुल खसरा किता 2 रकबा 0.90 है. कायम किए गए है, पर वादी काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है | उक्त वर्णित वादी की कब्जाकाश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 01, 02 वादी को नुकसान पहुचान पर आमदा है | जबकि प्रतिवादी सं. 01, 02 का उक्त वर्णित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है किन्तु फिर भी उक्त प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमि में निरन्तर दखलन्दाजी करते रह कर वादी को परेशान करते रहे है जिससे वादी का वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिकी इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण सं. 01, 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उपरोक्त वर्णित वादी की कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार की बाधा, व्यवधान आदि उत्पन्न ना करें ना ही वादी के भूमि के उपयोग-उपभोग में अडचन डालें तथा प्रतिवादी स. 3 को इस आशय से पाबन्द किया जावे कि वह राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की रद्दोबदल ना करें, नामांन्तकरण अलग से खोले | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब वाद पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 23/02/2018 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गुलाबचन्द बनाम किशना हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	264/2018	

पारित करते हुये वादी का वाद पोषणीय नही होने के आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23/02/2018 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर